



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

कार्यालय : (0755) 2551650, 2761567 फैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक/955 /डी.एड.सेल/2014  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 3 /05/2014

प्राचार्य/संचालक  
इस्टी. आफ इलाइड साईस एण्ड कम्प्यूटर एप्लीकेशन  
गुरुकृपा केम्पस, सिंधौली रेल्वे स्टेशन के सामने  
एन एच-75 झांसी रोड ग्वालियर  
जिला ग्वालियर (म.प्र.) 474001

विषय:- डी.एड. संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की पूर्ति विषयक अंतिम सूचना पत्र।  
संदर्भ:- मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित सूचना पत्र क्र.-890/डी.एड.सेल/2014 दिनांक 22.04.2014

--- / / ---

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन हो। मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 22.04.2014 के अनुक्रम में आपकी संस्थान द्वारा आज दिनांक तक जवाब मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि मण्डल द्वारा उक्तानुसार प्रेषित पत्र मण्डल वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2012 में संबंधिता प्रदान करने हेतु अंतिम तिथि 10 मई निर्धारित की गई है। जिसके पालन में मण्डल द्वारा भी संबंधिता संबंधी निर्देश दिनांक 22.02.2014 के विन्दु क्र.-08 में संबंधिता प्रदान करने हेतु अंतिम तिथि 10 मई निर्धारित की गई है। अतः अंतिम रूप से सूचित किया जाता है कि मण्डल द्वारा प्रेषित सूचना पत्र दिनांक 22.04.14 के अनुसार संस्थान में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के छायाचित्र दिनांक 07.05.2014 तक मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक उक्तानुसार कमीपूर्ति न किये जाने पर यह मान लिया जावेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है एवं ऐसी स्थिति में मण्डल द्वारा एकतरफा कार्यवाही करते हुये आपकी संस्था को प्रदत्त मण्डल की संबंधिता आगामी सत्र 2014-15 से समाप्त कर दी जावेगी।

सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

पृष्ठांकन क्र./956 / डी.एड.सेल/2014  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 3 / 05 /2014

1. क्षेत्रीय निदेशक, एन.सी.टी.ई., मानस भवन श्यामला हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभागीय अधिकारी, सभागीय कार्यालय, मा.श.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जारी अंतिम सूचना पत्र की तामील सुनिश्चित कर संस्था से प्राप्त पावती निर्धारित दिनांक के पूर्व मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जाना सुनिश्चित करें।

सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.  
भोपाल



## माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

कार्यालय : (0755) 2551650, 2761567 फ़ैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 932 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक  
राजीव गान्धी लोकेशनल एज्युकेशन एण्ड ट्रेनिंग कॉलेज,  
साक्षी परिसर, उरवई गेट, ग्वालियर  
जिला-ग्वालियर (म.प्र.)-474012

विषय:- डी.एड. संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की पूर्ति विषयक अंतिम सूचना पत्र।


संदर्भ:- विषयान्तर्गत मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित सूचना पत्र क्र.-816 / डी.एड.सेल / 2014 दिनांक 16.04.2014

--- / / ---

विषयान्तर्गत मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित संदर्भित पत्र का अवलोकन हो। मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 16.04.2014 के अनुक्रम में आपके संस्थान द्वारा जवाब आज दिनांक तक मण्डल कार्यालय में अप्राप्त है। जबकि मण्डल द्वारा उक्तानुसार प्रेषित पत्र मण्डल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है।

1. एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31.08.2009 के बिन्दु क्र.-09 में स्पष्ट उल्लेख है कि संस्थान संबंधन प्रदान करने वाले निकाय द्वारा यथा अनुमोदित संकाय सदस्यों की सूची क्षेत्रीय समिति को भेजेगा।
2. राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.01.2012 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि एन.सी.टी.ई. के प्रावधान एवं वर्तमान मापदण्ड के अनुसार ही प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय अपने क्षेत्र अन्तर्गत संचालित अशासकीय संस्थाओं के स्टाफ सिलेक्शन का कार्य एवं स्टाफ सूची का प्रमाणीकरण करेंगे। उक्तानुसार जारी निर्देश के बिन्दु क्र.-02 में स्पष्ट है कि किसी जिले के अशासकीय डी.एड. कॉलेज के स्टाफ चयन से संबंधित कार्यवाही स्टाफ सूची का प्रमाणीकरण करने के लिये उस जोन के प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय सक्षम अधिकारी होंगे जिसमें वह जिला सम्मिलित है।
3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्र.-276/12 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2012 में परीक्षा निकायों को निर्देशित किया गया है कि संबंधिता प्रदान करने के पूर्व परीक्षा निकाय द्वारा संस्थान में पाठ्यक्रम को पूर्ण करने एवं एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन किये जाने विषयक शर्तें निर्धारित कर सकता है।

उक्त आधार पर परीक्षा निकाय होने की हैसियत से मण्डल का यह दायित्व बनता है कि वह संस्थान को संबद्धता देने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि संस्थान में एन.सी.टी.ई. के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने हेतु पर्याप्त शैक्षणिक स्टाफ उपलब्ध हैं। अशासकीय डी.एड. संस्थाओं में शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति एवं नियुक्त स्टाफ की फोटो युक्त सूची के प्रमाणीकरण हेतु प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय को एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा अधिकृत किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2012 में संबद्धता प्रदान करने हेतु अंतिम तिथि 10 मई निर्धारित की गई है। जिसके पालन में मण्डल द्वारा भी संबद्धता संबंधी निर्देश दिनांक 22.02.2014 के बिन्दु क्र.-08 में संबद्धता प्रदान करने हेतु अंतिम तिथि 10 मई निर्धारित की गई है। अतः अंतिम रूप से सूचित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नात्कोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची एवं संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों के समूह छायाचित्र दिनांक 06.05.2014 तक मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक उक्तानुसार कमीपूर्ति न किये जाने पर यह मान लिया जावेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है एवं ऐसी स्थिति में मण्डल द्वारा एकतरफा कार्यवाही करते हुये आपकी संस्था को प्रदत्त मण्डल की संबद्धता आगामी सत्र 2014-15 से समाप्त कर दी जावेगी।




सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र./932/ डी.एड.सेल/2014  
प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्रीय निदेशक, एन.सी.टी.ई., मानस भवन श्यामला हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जारी अंतिम सूचना पत्र की तामील सुनिश्चित कर संस्था से प्राप्त पावती निर्धारित दिनांक के पूर्व मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जाना सुनिश्चित करें।
3. चीफ सिस्टम ऑफिसर कम्प्यूटर कक्ष, मा.शि.मण्डल, मुख्यालय भोपाल की ओर उक्त पत्र मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.  
भोपाल



## माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

कार्यालय : कार्यालय - (0755) 2551650, 2761567 फ़ैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक/ 938 /डी.एड.सेल/2014  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30/04/2014

प्राचार्य/संचालक  
राजीव गंधी बेसिक ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट,  
रानीपुर, ग्वालियर,  
जिला-ग्वालियर (म.प्र.)

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की पूर्ति विषयक अंतिम सूचना पत्र।  
संदर्भ:- विषयान्तर्गत मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित सूचना पत्र क्र.-448/डी.एड.सेल/2014 दिनांक 16.04.2014


---//---

विषयान्तर्गत मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित संदर्भित पत्र का अवलोकन हो। मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 16.04.2014 के अनुक्रम में आपके संस्थान द्वारा जवाब आज दिनांक तक मण्डल कार्यालय में अप्राप्त है। जबकि मण्डल द्वारा उक्तानुसार प्रेषित पत्र मण्डल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है।

1. एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31.08.2009 के बिन्दु क्र.-09 में स्पष्ट उल्लेख है कि संस्थान संबंधन प्रदान करने वाले निकाय द्वारा यथा अनुमोदित संकाय सदस्यों की सूची क्षेत्रीय समिति को भेजेगा।
2. राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.01.2012 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि एन.सी.टी.ई. के प्रावधान एवं वर्तमान मापदण्ड के अनुसार ही प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय अपने क्षेत्र अन्तर्गत संचालित अशासकीय संस्थाओं के स्टाफ सिलेक्शन का कार्य एवं स्टाफ सूची का प्रमाणीकरण करेंगे। उक्तानुसार जारी निर्देश के बिन्दु क्र.-02 में स्पष्ट है कि किसी जिले के अशासकीय डी.एड. कॉलेज के स्टाफ चयन से संबंधित कार्यवाही स्टाफ सूची का प्रमाणीकरण करने के लिये उस जोन के प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय सक्षम अधिकारी होंगे जिसमें वह जिला सम्मिलित है।
3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्र.-276/12 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2012 में परीक्षा निकायों को निर्देशित किया गया है कि संबद्धता प्रदान करने के पूर्व परीक्षा निकाय द्वारा संस्थान में पाठ्यक्रम को पूर्ण करने एवं एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन किये जाने विषयक शर्तें निर्धारित कर सकता है।



उक्त आधार पर परीक्षा निकाय होने की हैसियत से मण्डल का यह दायित्व बनता है कि वह संस्थान को संबद्धता देने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि संस्थान में एन.सी.टी.ई. के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने हेतु पर्याप्त शैक्षणिक स्टाफ उपलब्ध हैं। अशासकीय डी.एड. संस्थाओं में शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति एवं नियुक्त स्टाफ की फोटो युक्त सूची के प्रमाणीकरण हेतु प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय को एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा अधिकृत किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2012 में संबद्धता प्रदान करने हेतु अंतिम तिथि 10 मई निर्धारित की गई है। जिसके पालन में मण्डल द्वारा भी संबद्धता संबंधी निर्देश दिनांक 22.02.2014 के बिन्दु क्र.-08 में संबद्धता प्रदान करने हेतु अंतिम तिथि 10 मई निर्धारित की गई है। अतः अंतिम रूप से सूचित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नात्कोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची दिनांक 06.05.2014 तक मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक उक्तानुसार कमीपूर्ति न किये जाने पर यह मान लिया जावेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है एवं ऐसी स्थिति में मण्डल द्वारा एकतरफा कार्यवाही करते हुये आपकी संस्था को प्रदत्त मण्डल की संबद्धता आगामी सत्र 2014-15 से समाप्त कर दी जावेगी।




सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 / 04 / 2014

पृष्ठ क्र. / 93 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्रीय निदेशक एन.सी.टी.ई., मानस भवन श्यामला हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संभोगीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जारी अंतिम सूचना पत्र की तामील सुनिश्चित कर संस्था से प्राप्त पावती निर्धारित दिनांक के पूर्व मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जाना सुनिश्चित करें।
3. चीफ सिस्टम ऑफिसर कम्प्यूटर कक्ष, मा.शि.मण्डल, मुख्यालय भोपाल की ओर उक्त पत्र मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.  
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

कार्यालय : (0755) 2551650, 2761567 फैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक/ 934 /डी.एड.सेल/2014  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30/04/2014

प्राचार्य/संचालक  
श्री साईनाथ शिक्षा महाविद्यालय,  
10/2, द्वारकाधीश कॉलोनी नं.-2,  
दुल्लपुर, थाटीपुर, ग्वालियर  
जिला-ग्वालियर (म.प्र.)-474011

विषय:- डी.एड. संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की पूर्ति विषयक अंतिम सूचना पत्र।

संदर्भ:- विषयान्तर्गत मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित सूचना पत्र क्र.-848/डी.एड.सेल/2014 दिनांक 16.04.2014


---/ /---

विषयान्तर्गत मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित संदर्भित पत्र का अवलोकन हो। मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 16.04.2014 के अनुक्रम में आपके संस्थान द्वारा जवाब आज दिनांक तक मण्डल कार्यालय में अप्राप्त है। जबकि मण्डल द्वारा उक्तानुसार प्रेषित पत्र मण्डल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है।

1. एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31.08.2009 के बिन्दु क्र.-09 में स्पष्ट उल्लेख है कि संस्थान संबंधित प्रदान करने वाले निकाय द्वारा यथा अनुमोदित संकाय सदस्यों की सूची क्षेत्रीय समिति को भेजेगा।
2. राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.01.2012 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि एन.सी.टी.ई. के प्रावधान एवं वर्तमान मापदण्ड के अनुसार ही प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय अपने क्षेत्र अन्तर्गत संचालित अशासकीय संस्थाओं के स्टाफ सिलेक्शन का कार्य एवं स्टाफ सूची का प्रमाणीकरण करेंगे। उक्तानुसार जारी निर्देश के बिन्दु क्र.-02 में स्पष्ट है कि किसी जिले के अशासकीय डी.एड. कॉलेज के स्टाफ चयन से संबंधित कार्यवाही स्टाफ सूची का प्रमाणीकरण करने के लिये उस जोन के प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय सक्षम अधिकारी होंगे जिसमें वह जिला सम्मिलित है।
3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्र.-276/12 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2012 में परीक्षा निकायों को निर्देशित किया गया है कि संबंधिता प्रदान करने के पूर्व परीक्षा निकाय द्वारा संस्थान में पाठ्यक्रम को पूर्ण करने एवं एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन किये जाने विषयक शर्तें निर्धारित कर सकता है।



उक्त आधार पर परीक्षा निकाय होने की हैसियत से मण्डल का यह दायित्व बनता है कि वह संस्थान को संबद्धता देने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि संस्थान में एन.सी.टी.ई. के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने हेतु पर्याप्त शैक्षणिक स्टाफ उपलब्ध हैं। अशासकीय डी.एड. संस्थाओं में शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति एवं नियुक्त स्टाफ की फोटो युक्त सूची के प्रमाणीकरण हेतु प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय को एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा अधिकृत किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2012 में संबद्धता प्रदान करने हेतु अंतिम तिथि 10 मई निर्धारित की गई है। जिसके पालन में मण्डल द्वारा भी संबद्धता संबंधी निर्देश दिनांक 22.02.2014 के बिन्दु क्र.-08 में संबद्धता प्रदान करने हेतु अंतिम तिथि 10 मई निर्धारित की गई है। अतः अंतिम रूप से सूचित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नात्कोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची दिनांक 06.05.2014 तक मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक उक्तानुसार कमीपूर्ति न किये जाने पर यह मान लिया जावेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है एवं ऐसी स्थिति में मण्डल द्वारा एकतरफा कार्यवाही करने लगे होंगे आपकी संस्था को प्रदत्त मण्डल की संबद्धता आगामी सत्र 2014-15 से समाप्त कर दी जावेगी।



सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र./ 931 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्रीय निदेशक, एन.सी.टी.ई., मानस भवन श्यामला हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जारी अंतिम सूचना पत्र की तामील सुनिश्चित कर संस्था से प्राप्त पावती निर्धारित दिनांक के पूर्व मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जाना सुनिश्चित करें।
3. वीफ सिरस्टम ऑफिसर कम्प्यूटर कक्षा, मा.शि.मण्डल, मुख्यालय भोपाल की ओर उक्त पत्र मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.  
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

कार्यालय : कार्यालय- (0755) 2551650, 2761567 फैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक/ १५२/डी.एड.सेल/2014  
प्रति,

भोपाल, दिनांक /04/2014

प्राचार्य/संचालक  
नसरौल कॉलेज ऑफ वोकेशनल एज्युकेशन एण्ड ट्रेनिंग,  
पारस विहार कॉलोनी, झांसी रोड़  
पुलिस स्टेशन के सामने, ग्वालियर  
जिला-ग्वालियर (म.प्र.)-474009

- विषय:- डी.एड. संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की पूर्ति विषयक अंतिम सूचना पत्र।  
संदर्भ:- विषयान्तर्गत मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित सूचना पत्र क्र.-716/डी.एड.सेल/2014 दिनांक 09.04.2014


---/ /---

विषयान्तर्गत मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित संदर्भित पत्र का अवलोकन हो। मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 09.04.2014 के अनुक्रम में आपके संस्थान द्वारा जवाब आज दिनांक तक मण्डल कार्यालय में अप्राप्त है। जबकि मण्डल द्वारा उक्तानुसार प्रेषित पत्र मण्डल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है।

1. एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31.08.2009 के बिन्दु क्र.-09 में स्पष्ट उल्लेख है कि संस्थान संबंधित प्रदान करने वाले निकाय द्वारा यथा अनुमोदित संकाय सदस्यों की सूची क्षेत्रीय समिति को भेजेगा।
2. राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.01.2012 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि एन.सी.टी.ई. के प्रावधान एवं वर्तमान मापदण्ड के अनुसार ही प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय अपने क्षेत्र अन्तर्गत संचालित अशासकीय संस्थाओं के स्टाफ सिलेक्शन का कार्य एवं स्टाफ सूची का प्रमाणीकरण करेंगे। उक्तानुसार जारी निर्देश के बिन्दु क्र.-02 में स्पष्ट है कि किसी जिले के अशासकीय डी.एड. कॉलेज के स्टाफ चयन से संबंधित कार्यवाही स्टाफ सूची का प्रमाणीकरण करने के लिये उस जोन के प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय सक्षम अधिकारी होंगे जिसमें वह जिला सम्मिलित है।
3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्र.-276/12 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2012 में परीक्षा निकायों को निर्देशित किया गया है कि संबंधिता प्रदान करने के पूर्व परीक्षा निकाय द्वारा संस्थान में पाठ्यक्रम को पूर्ण करने एवं एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन किये जाने विषयक शर्तें निर्धारित कर सकता है।



वह संस्थान को संबद्धता देने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि संस्थान में एन.सी.टी.ई. के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने हेतु पर्याप्त शैक्षणिक स्टाफ उपलब्ध हैं। अशासकीय डी.एड. संस्थाओं में शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति एवं नियुक्त स्टाफ की फोटो युक्त सूची के प्रमाणीकरण हेतु प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय को एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा अधिकृत किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2012 में संबद्धता प्रदान करने हेतु अंतिम तिथि 10 मई निर्धारित की गई है। जिसके पालन में मण्डल द्वारा भी संबद्धता संबंधी निर्देश दिनांक 22.02.2014 के बिन्दु क्र.-08 में संबद्धता प्रदान करने हेतु अंतिम तिथि 10 मई निर्धारित की गई है। अतः अंतिम रूप से सूचित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नात्कोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची दिनांक 06.05.2014 तक मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक उक्तानुसार कमीपूर्ति न किये जाने पर यह मान लिया जावेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है एवं ऐसी स्थिति में मण्डल द्वारा एकतरफा कार्यवाही करते हुये आपकी संस्था को प्रदत्त मण्डल की संबद्धता आगामी सत्र 2014-15 से समाप्त कर दी जावेगी।




सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

भोपाल, दिनांक / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र./ / डी.एड.सेल / 2014  
प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्रीय निदेशक, एन.सी.टी.ई., मानस भवन श्यामला हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जारी अंतिम सूचना पत्र की तामील सुनिश्चित कर संस्था से प्राप्त पावती निर्धारित दिनांक के पूर्व मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जाना सुनिश्चित करें।
3. चीफ सिस्टम ऑफिसर कम्प्यूटर कक्ष, मा.शि.मण्डल, मुख्यालय भोपाल की ओर उक्त पत्र मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.  
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

कार्यालय : कार्या- (0755) 2551650, 2761567 फैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / १२६ / डी.एड.सेल / २०१४  
प्रति,

भोपाल, दिनांक ३० / ०४ / २०१४

प्राचार्य / संचालक  
कृष शिक्षा महाविद्यालय,  
प्लॉट नं.-१०२५, ग्राम सुमावली,  
पो. बेहट, तह. बेहट मुरार, ग्वालियर  
जिला-ग्वालियर (म.प्र.)-४७४००६

विषय:- मण्डल द्वारा प्रदत्त डी.एड. संबद्धता समाप्त करने विषयक अंतिम नोटिस।

संदर्भ:- मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित नोटिस क्र.-८४४ / डी.एड.सेल / २०१४ दिनांक १६.०४.२०१४

--- / / ---

विषयान्तर्गत लेख है कि मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित संदर्भित पत्र दिनांक १६.०४.२०१४ का जवाब संस्थान द्वारा आज दिनांक तक मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र २०१४-१५ हेतु आपके संस्थान से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र एवं संबद्धता नवीनीकरण शुल्क मण्डल कार्यालय में अप्राप्त है। जबकि मण्डल द्वारा संबद्धता संबंधी जारी स्थाई निर्देश क्र.-५८६ दिनांक २२.०२.२०१४ के बिन्दु क्र.-१३ में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रथम बार मण्डल से नवीन संबद्धता प्राप्त कर लेने के बाद संस्थाओं को प्रतिवर्ष निर्धारित शुल्क जमा करते हुये मण्डल से संबद्धता का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। मण्डल द्वारा जारी निर्देश में यह भी स्पष्ट उल्लेखित है कि मण्डल से संबद्धता प्राप्त संस्थाओं को एन.सी.टी.ई. से प्राप्त मान्यता की निरन्तरता जारी रहने पर संस्थाओं द्वारा संबद्धता नवीनीकरण हेतु दिनांक १० मार्च तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। नवीनीकरण हेतु निर्धारित तिथि तक शुल्क सहित आवेदन प्रस्तुत न करने की स्थिति में संस्था की संबद्धता स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।

चूंकि आपकी संस्था द्वारा संबद्धता सत्र २०१४-१५ हेतु मण्डल द्वारा निर्धारित नवीनीकरण शुल्क एवं तदसंबंधी आवेदन पत्र ही प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः क्यों न आपकी संस्था की संबद्धता सत्र २०१४-१५ से समाप्त की जावे। उक्त संबंध में अंतिम रूप से सूचित किया जाता है कि अपना लिखित स्पष्टीकरण दिनांक ०५.०५.२०१४ तक अनिवार्य रूप में मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर यह मान लिया जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं ऐसी स्थिति में मण्डल द्वारा एकतरफा कार्यवाही कर आपकी संस्था की संबद्धता को सत्र २०१४-१५ से समाप्त कर दिया जावेगा।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.

भोपाल

पृष्ठांकन क्र. / १२७ / डी.एड.सेल / २०१४  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक ३० / ०४ / २०१४

1. क्षेत्रीय निदेशक, एन.सी.टी.ई., मानस भवन श्यामला हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.श.मण्डल, भोपाल की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूति विषयक जारी अंतिम सूचना पत्र की तामील सुनिश्चित कर संस्था से प्राप्त पावती निर्धारित दिनांक के पूर्व मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जाना सुनिश्चित करें।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.

भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in  
 कार्या - (0755) 25511150, 2761567 फ़ैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 674 / डी.एड.सेल / 2014  
 प्रति,

भोपाल, दिनांक 03 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक  
 ज्ञानेश कॉलेज ऑफ एज्युकेशन,  
 274 / 16, एम.एस. रोड़, गोपालपुरा, मुरैना  
 जिला-मुरैना (म.प्र.)-476001

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।  
 संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 08.03.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. कार्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न संस्था में नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ की सूची की छायाप्रति में प्राचार्य शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हस्ताक्षर कूटरंगित प्रतीत होते हैं। अतः निर्देशित किया जाता है कि संस्था में एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ की शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित फोटो युक्त सूची की मूलप्रति दिनांक 17.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव  
 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
 भोपाल

भोपाल, दिनांक 03 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 675 / डी.एड.सेल / 2014  
 प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव  
 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
 भोपाल

क्रमांक / 670 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक  
विद्या शिक्षा महाविद्यालय,  
विद्यापुरी, पो. मुढियाखेड़ा,  
जिला-मुरैना (म.प्र.)-476001

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।  
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 08.03.2014


--- / --- / ---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. कार्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ 02 पृथक-पृथक स्टाफ सूची की छायाप्रतियाँ संलग्न की गई हैं, जो कि एक समान है किन्तु एक सूची में मात्र संस्था प्राचार्य के हस्ताक्षर हैं एवं एक अन्य सूची की छायाप्रति में प्राचार्य शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हस्ताक्षर कूटरचित प्रतीत होते हैं। अतः निर्देशित किया जाता है कि संस्था में एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ की शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित स्टाफ सूची की मूलप्रति मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

2. आवेदन पत्र के साथ कॉलेज स्टाफ, संस्था संचालक एवं संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों के समूह के छायाचित्र संलग्न किये गये हैं, किन्तु किसी भी छायाचित्र में संस्था का नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है। अतः लेख है कि संस्था भवन के समक्ष लिये गये उपरोक्तानुसार छाया चित्र मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार दस्तावेज दिनांक 17.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा. सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।




सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

पृष्ठांकन क्र. / 671 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 03 / 04 / 2014

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।



सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.  
भोपाल



क्रमांक / 668 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03/04/2014

प्राचार्य / संचालक  
माँ विद्या देवी शिक्षा महाविद्यालय,  
विद्या विहार, मेन रोड, महावीरपुरा,  
जिला-मुरैना (म.प्र.)-476001

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।  
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 08.03.2014

---//---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियाँ पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर संस्था प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित स्टाफ सूची संलग्न की गई है, जो की मान्य नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि संस्था में एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ की शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित फोटो युक्त सूची दिनांक 17.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।



सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

भोपाल, दिनांक 03/04/2014

पृष्ठांकन क्र. / 669 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।



सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.  
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

कार्या- (0755) 2551650, 2761567 फैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 666 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक

बी.के. कॉलेज द्वारा स्व0 श्री बाल किशन यादव शिक्षा प्रसार समिति,  
जौरा जिला-मुरैना (म.प्र.)

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।

संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 10.03.2014

— / / —

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर संस्था द्वारा, संस्था प्राचार्य के द्वारा हस्ताक्षरित स्टाफ सूची संलग्न की गई है, जो मान्य नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि संस्था में एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ की शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित फोटो युक्त सूची दिनांक 17.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निर्दिष्ट दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,

भोपाल

भोपाल, दिनांक 03 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 667 / डी.एड.सेल / 2014

प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की अंर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.

भोपाल

क्रमांक / 665 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक  
डी.डी. स्वामी महाविद्यालय,  
ए.बी. रोड,  
जिला-मुरैना (म.प्र.) -476001


विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।  
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 08.03.2014

--- / / ---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दरतावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर संस्था द्वारा, संस्था प्राचार्य के द्वारा हस्ताक्षरित स्टाफ सूची संलग्न की गई है, जो मान्य नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि संस्था में एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ की शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित फोटो युक्त सूची दिनांक 17.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।




सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

पृष्ठांकन क्र. / 665 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 03 / 04 / 2014

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।



सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in  
कार्यालय : (0755) 2551650, 2761567 फॉक्स - (0755) 2551499, 2552061

C.S.O

क्रमांक / 678 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक  
महर्षि महाविद्यालय,  
पोहडी रोड, सिंह निवास,  
जिला-शिवपुरी (म.प्र.)

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।  
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 07.03.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर संस्था प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित स्टाफ सूची संलग्न की गई है, जो तक मान्य नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि संस्था में एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ की शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित फोटो युक्त सूची दिनांक 17.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

भोपाल, दिनांक 03 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 679 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.  
भोपाल





क्रमांक / 672 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रति.

भोपाल, दिनांक 03 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक  
एस.पी.एस. एकेडमी द्वारा शिवपुरी पब्लिक स्कूल  
फतहपुरी रोड़,  
जिला-शिवपुरी (म.प्र.)-473551

विषय:- डी.एड. संबंधता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।  
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबंधता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 05.03.2014

--- / / ---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबंधता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर संस्था प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित स्टाफ सूची संलग्न की गई है, जो तक मान्य नहीं है।  
अतः निर्देशित किया जाता है कि संस्था में एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ की शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित फोटो युक्त सूची दिनांक 17.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबंधता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबंधता समाप्त करने विषयक कारवाही की जा सकेगी।



सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

भोपाल, दिनांक 03 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 673 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।



सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल



क्रमांक / 676 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03/04/2014

प्राचार्य / संचालक  
चौधरी शिव कुमार शर्मा टीचर्स इन्स्टीट्यूशन,  
सेमरपुरा, भिण्ड,  
जिला-मुरैना (म.प्र.)

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।  
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 08.03.2014

--- / ---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न संस्था में नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ की सूची की छायाप्रति सत्र 2007-08 की है एवं उक्त सूची में प्राचार्य शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा अंकित नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि संस्था में एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ की शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित फोटो युक्त सूची की मूलप्रति दिनांक 17.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

भोपाल, दिनांक 03/04/2014

पृष्ठांकन क्र. / 677 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.  
भोपाल



क्रमांक / 680 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 05/04/2014

प्राचार्य / संचालक  
राजीव गाँधी मेमोरियल कॉलेज,  
तोमर हाऊस, खसरा नं.-31531 / 3, बरौदा,  
जिला-शिवपुर (म.प्र.)  
शिवपुर

विषय:- डी.एड. संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।  
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबंधिता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 08.03.2014

--- / ---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियाँ पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर संस्था द्वारा सहायक प्राध्यापक शासकीय पी.जी. कॉलेज के द्वारा हस्ताक्षरित स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न की गई है, जो मान्य नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि संस्था में एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ की शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित फोटो युक्त सूची दिनांक 17.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबंधिता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

भोपाल, दिनांक 05/04/2014

पृष्ठांकन क्र. / 681 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.  
भोपाल



क्रमांक / 702 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 05/04/2014

प्राचार्य / संचालक  
मृत्युंजय महाविद्यालय,  
बाय पास रोड़, नियर गैस गोदाम,  
कीरतपुरा, भिण्ड  
जिला - भिण्ड (म.प्र.)-477001

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।  
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 08.03.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर संस्था प्राचार्य एवं संस्था सचिव द्वारा हस्ताक्षरित स्टाफ सूची संलग्न की गई है, जो कि मान्य नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि संस्था में एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ की शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित फोटो युक्त सूची दिनांक 17.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

पृष्ठांकन क्र. / 703 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय - कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

भोपाल, दिनांक 05/04/2014

सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल





क्रमांक/684/डी.एड.सेल/2014  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 05/04/2014


प्राचार्य/संचालक  
एन.एस. मेमोरियल कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड स्टडीज,  
भांडेर, दतिया  
जिला-दतिया (म.प्र.)-475335

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।  
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 08.03.2014

— / / —

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है।  
अतः निर्देशित किया जाता है कि संस्था में एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ की शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित फोटो युक्त सूची दिनांक 17.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।



सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

भोपाल, दिनांक 05/04/2014

पृष्ठांकन क्र./685/डी.एड.सेल/2014  
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।



सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.  
भोपाल



क्रमांक / 692 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 05/04/2014

प्राचार्य / संचालक  
श्री बिहारीजी महाराज कॉलेज ऑफ एज्युकेशन एण्ड साइंस,  
माली वाली गली, मुढिया का कुआ,  
जिला-दतिया (म.प्र.)-475661

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।  
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 05.03.2014


--- / / ---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। अतः लेख है कि संस्था में एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ की शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित फोटो युक्त सूची मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जाना सुनिश्चित करें।

2. आवेदन पत्र के साथ संस्था द्वारा तीन छायाचित्र संलग्न किये गये हैं किन्तु उन छायाचित्रों में संस्था का नाम कहीं भी अंकित नहीं है। साथ ही डी.एड. प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के संस्था भवन के समक्ष लिये गये समूह के छायाचित्र संलग्न नहीं किये गये हैं। लेख है कि संस्था में अध्ययनरत् प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के 25-25 विद्यार्थियों के संस्था भवन के समक्ष लिये गये छायाचित्र मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार दस्तावेज दिनांक 17.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।




सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

भोपाल, दिनांक 05/04/2014

पृष्ठांकन क्र. / 693 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।



सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.  
भोपाल



क्रमांक / 690 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 05/04/2014

प्राचार्य/संचालक  
जय मॉ पीताम्बरा इन्स्टीट्यूट ऑफ एज्युकेशन,  
प्रजापति का मकान, रामनगर, दतिया  
जिला-दतिया (म.प्र.)

विषय:- डी.एड. संबंधता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।  
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबंधता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 07.03.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबंधता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. आवेदन पत्र के साथ संस्था द्वारा संस्था संचालक, शैक्षणिक स्टाफ एवं अध्ययनरत् विद्यार्थियों के छायाचित्र संलग्न किये गये हैं। किन्तु छायाचित्रों में संस्था भवन पर संस्था का नाम अंकित नहीं है। लेख है कि संस्थान में प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत् 25-25 विद्यार्थियों के संस्था भवन के समक्ष लिये गये छायाचित्र जिनमें संस्था भवन पर अंकित संस्था का नाम भी स्पष्ट प्रदर्शित हो रहा हो, मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार छायाचित्र दिनांक 17.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबंधता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबंधता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

भोपाल, दिनांक 05/04/2014

पृष्ठांकन क्र. 1691 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.  
भोपाल



क्रमांक / 700 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 05 / 04 / 2014


प्राचार्य / संचालक  
रास जे.बी. कॉलेज फॉर प्रोफेशनल स्टडीज,  
एन.एच.-75, झांसी रोड़, दतिया  
जिला-दतिया (म.प्र.)-475661

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।  
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 10.03.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर संस्था प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित स्टाफ सूची संलग्न की गई है, जो कि मान्य नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि संस्था में एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ की शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित फोटो युक्त सूची दिनांक 17.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।



सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

भोपाल, दिनांक 05 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 701 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।



सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.  
भोपाल



क्रमांक / 698 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रति,


भोपाल, दिनांक 05/04/2014

प्राचार्य / संचालक  
गाँधी वोकेशनल डी.एड. कॉलेज,  
प्लॉट नं.-244, 245, कुसमोड़ा, ए.बी. रोड,  
जिला-गुना (म.प्र.)-473001

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।  
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 09.03.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. आवेदन पत्र के साथ संस्था द्वारा संचालक मण्डल एवं शैक्षणिक स्टाफ युक्त दो छायाचित्र संलग्न किये गये हैं किन्तु दोनों छायाचित्रों में संस्था भवन पर संस्था का नाम अंकित दिखाई नहीं दे रहा है। संस्था द्वारा संस्था में अध्ययनरत् प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के 25-25 विद्यार्थियों के समूह युक्त संस्था भवन के समक्ष लिये गये छायाचित्र संलग्न नहीं किये गये हैं।  
अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार छायाचित्र दिनांक 17.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।




सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

भोपाल, दिनांक 05 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 699 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।



सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.  
भोपाल



क्रमांक / 682 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 05/04/2014

प्राचार्य / संचालक  
भगत उदय सिंह शिक्षा महाविद्यालय,  
प्लॉट / खसरा नं.-1248, वार्ड नं.-06,  
ग्राम पचेरा, पो. पाली, तह. मेंहगाँव,  
ज़िला-भिण्ड (म.प्र.)-477660

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।  
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 05.03.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. आवेदन पत्र के साथ संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों के समूह के छायाचित्र संलग्न नहीं किये गये हैं। अतः लेख है कि संस्था भवन के समक्ष संस्था में प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों के 25-25 विद्यार्थियों का समूह बनाकर छायाचित्र मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार छायाचित्र दिनांक 17.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।


  
सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

भोपाल, दिनांक 05/04/2014

पृष्ठांकन क्र. / 683 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

  
सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.  
भोपाल



क्रमांक / 688 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रति,


भोपाल, दिनांक 05/04/2014

प्राचार्य / संचालक  
चौधरी रुस्तम सिंह ट्रेनिंग कॉलेज,  
प्लॉट नं.-1339, एन.एच.-92,  
ग्राम डी.डी. पो. भिण्ड  
जिला-भिण्ड (म.प्र.)-477001

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।  
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 08.03.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दरतावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-


1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर संस्था प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित स्टाफ सूची संलग्न की गई है, जो कि मान्य नहीं है। अतः निर्देशित किया जाता है कि संस्था में एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ की शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित फोटो युक्त सूची दिनांक 17.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।



सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल  
भोपाल, दिनांक 05/04/2014

पृष्ठांकन क्र. / 689 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।



सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.  
भोपाल



क्रमांक / 686 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 05/04/2014

प्राचार्य / संचालक  
अशोक कुसुम कॉलेज ऑफ एज्युकेशन,  
गर्ल्स स्कूल रोड, भिण्ड  
जिला-भिण्ड (म.प्र.)-477001

विषय:- डी.एड. संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।  
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबंधिता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 08.03.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर संस्था प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित स्टाफ सूची संलग्न की गई है, जो कि मान्य नहीं है।  
अतः निर्देशित किया जाता है कि रस्था में एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ की शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित फोटो युक्त सूची दिनांक 17.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबंधिता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

भोपाल, दिनांक 05/04/2014

पृष्ठांकन क्र. / 687 / डी.एड.सेल / 2014

प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, खालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.  
भोपाल



क्रमांक / 696 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रति,


भोपाल, दिनांक 05/04/2014

प्राचार्य / संचालक  
मैं त्रिमुखा ट्रेनिंग कॉलेज,  
प्लॉट नं.-176, ग्राम खरीउरा,  
पो. जौरी (ब्राम्हण), तह. मेंहगॉव  
जिला-भिण्ड (म.प्र.)-477557

विषय:- डी.एड. संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।  
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबंधिता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 05.03.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-


1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है।  
अतः निर्देशित किया जाता है कि संस्था में एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ की शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित फोटो युक्त सूची दिनांक 17.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबंधिता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।



सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल  
भोपाल, दिनांक 05/04/2014

पृष्ठांकन क्र. / 697 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।



सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.  
भोपाल



क्रमांक / 694 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रति,


भोपाल, दिनांक 05/04/2014

प्राचार्य / संचालक  
पंडित दीनदयाल महाविद्यालय,  
लाडमपुर, गिजुरा, मेंहगॉव,  
जिला-भिण्ड (म.प्र.)

विषय:- डी.एड. संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।  
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबंधिता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 07.03.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर संस्था प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित स्टाफ सूची संलग्न की गई है, जो कि मान्य नहीं है।  
अतः निर्देशित किया जाता है कि संस्था में एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ की शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित फोटो युक्त सूची दिनांक 17.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबंधिता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।


  
सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

भोपाल, दिनांक 05/04/2014

पृष्ठांकन क्र. / 695 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की अंर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

  
सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.  
भोपाल



क्रमांक / 708 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 05 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक  
शैशन लाल देपुरिया महाविद्यालय,  
पो. सिरपुरा, अटेर,  
जिला-भिण्ड (म.प्र.)-477001

विषय:- डी.एड. संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।  
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबंधिता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 10.03.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर संस्था प्राचार्य, संस्था अध्यक्ष एवं संस्था सचिव द्वारा हस्ताक्षरित स्टाफ सूची संलग्न की गई है जो कि मान्य नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि संस्था में एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ की शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित फोटो युक्त सूची दिनांक 17.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबंधिता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

भोपाल, दिनांक 05 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 709 / डी.एड.सेल / 2014

प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल



क्रमांक / 706 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 05/04/2014

प्राचार्य / संचालक  
सन इन्स्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एज्युकेशन,  
एस.आई.टी.ई. केम्पस, लहार  
जिला-भिण्ड (म.प्र.)-477445

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।  
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 08.03.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर संस्था प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित स्टाफ का विवरण संलग्न किया गया है, जो मान्य नहीं है।  
अतः निर्देशित किया जाता है कि संस्था में एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ की शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित फोटो युक्त सूची दिनांक 17.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

भोपाल, दिनांक 05/04/2014

पृष्ठांकन क्र. / 707 / डी.एड.सेल / 2014

प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.  
भोपाल





क्रमांक / 704 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 05/04/2014

प्राचार्य / संचालक  
कलावती इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज,  
सरपुरा, अटेर, भिण्ड,  
जिला-भिण्ड (म.प्र.)

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।  
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 10.03.2014

--- / / ---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर संस्था प्राचार्य, संस्था अध्यक्ष एवं संस्था संचिव द्वारा हस्ताक्षरित स्टाफ सूची संलग्न की गई है, जो कि मान्य नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि संस्था में एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ की शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित फोटो युक्त सूची दिनांक 17.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

भोपाल, दिनांक 05/04/2014

पृष्ठांकन क्र. / 705 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

कार्यालय : (0755) 2551650, 2761567 फैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 710 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 9 / 04 / 2014

क्षेत्रीय निदेशक,  
एन.सी.टी.ई., पश्चिम क्षेत्रीय समिति,  
मानस भवन, श्यामला हिल्स  
भोपाल

विषय:- डी.एड. संस्थान साई नाथ कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, माता जी शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति, पो. बिछोंदा, तह. भाण्डेर जिला-दतिया (म.प्र.) (कोड-APW04551/222238) के पते के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने विषयक।

संदर्भ:- 1) आपके द्वारा विषयांकित संस्था के संबंध में जारी कोरीगेंडम पत्र क्र.-डब्ल्यू.आर.सी. / 2-32 / 2008 / 40838 दिनांक 30.08.2008  
2) आपके पत्र क्र.-116417 दिनांक 07.03.2014 द्वारा मण्डल को उपलब्ध कराई गई 540 मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची के पृष्ठ क्र.-11, सरल क्र.-202

विषयान्तर्गत कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयांकित संस्था को एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी कोरीगेंडम दिनांक 30.08.2008 द्वारा साई नाथ कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, माता जी शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति, पो. बिछोंदा, तह. भाण्डेर जिला-दतिया (म. प्र.) के नाम एवं पते अनुसार मान्यता जारी की गई थी। किन्तु आपके पत्र दिनांक 07.03.2014 द्वारा मण्डल को उपलब्ध कराई गई 540 मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची के पृष्ठ क्र.-11, सरल क्र.-202 पर उक्त संस्था का नाम साई नाथ कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, आदर्श नगर, गोले का मंदिर मेन रोड, ग्वालियर दर्ज किया गया।

अनुरोध है कि विषयांकित संस्था के नाम एवं पते के संबंध में वास्तविक स्थिति से मण्डल कार्यालय को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें ताकि संस्था के संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रकरण पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। उक्त संबंध में आपकी ओर से त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

पृष्ठांकन क्र. / 711 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 9 / 04 / 2014

प्राचार्य/संचालक साई नाथ कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, पो. बिछोंदा, तह. भाण्डेर जिला-दतिया (म.प्र.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.  
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mip.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in  
कार्यालय : (0755) 2551650, 2761567 फैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 712 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 9 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक  
साई नाथ कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन,  
पो. बिछौंदा, तह. भाण्डेर  
जिला-दतिया (म.प्र.)

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।  
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 08.03.2014

--- / / ---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर संस्था सचिव द्वारा हस्ताक्षरित स्टाफ सूची संलग्न की गई है, जो मान्य नहीं है। लेख है कि एन. सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्था में नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ की फोटो युक्त सूची प्राचार्य शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित करवाकर मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2. एन.सी.टी.ई. द्वारा अपने पत्र क्र.-116417 दिनांक 07.03.2014 द्वारा मण्डल को उपलब्ध कराई गई 540 मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची में आपकी संस्था का नाम (एन.सी.टी.ई. कोड-APW04551/222238) पृष्ठ क्र.-11 सरल क्र.-202 पर दर्ज है। किन्तु एन.सी.टी.ई. द्वारा संस्था का पता दतिया के स्थान पर आदर्श नगर, गोले का मंदिर मेन रोड, ग्वालियर दर्ज किया गया है। उक्त संबंध में एन.सी.टी.ई. क्षेत्रीय कार्यालय से स्थिति स्पष्ट कर तत्काल मण्डल कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार दस्तावेज दिनांक 22.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 713 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल



क्रमांक / 714 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रति.

भोपाल, दिनांक 9 / 04 / 2014

✓ प्राचार्य / संचालक  
युवा व्यावसायिक शिक्षण संस्थान,  
आर.टी.ओ. ऑफिस के पीछे,  
बायपास रोड, गुना,  
जिला-गुना (म.प्र.)-473001

विषय:- डी.एड. संबंधता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।  
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबंधता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 08.03.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबंधता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरान्त निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर संस्था प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित स्टाफ सूची संलग्न की गई है, जो मान्य नहीं है। लेख है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार संस्था में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की फोटो युक्त सूची, शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित करवाकर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जाना सुनिश्चित करें।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार दस्तावेज दिनांक 17.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबंधता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबंधता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।



सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

भोपाल, दिनांक / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 715 / डी.एड.सेल / 2014

प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।



सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.  
भोपाल





क्रमांक / 716 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 9 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक  
नसरौल कॉलेज ऑफ वोकेशनल एज्युकेशन एण्ड ट्रेनिंग  
पारस बिहार कॉलोनी, झांसी रोड,  
पुलिस स्टेशन के सामने, ग्वालियर  
जिला-ग्वालियर (म.प्र.)-474009

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।  
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 28.02.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। लेख है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार संस्था में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की फोटो युक्त सूची, शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित करवाकर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जाना सुनिश्चित करें।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार दस्तावेज दिनांक 17.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

पृष्ठांकन क्र. / 717 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 9 / 04 / 2014

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.  
भोपाल



क्रमांक / 718 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 9 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक  
युवा व्यावसायिक शिक्षण महाविद्यालय,  
बरखेडी रोड, अशोक नगर,  
जिला-अशोक नगर (म.प्र.)

विषय:- डी.एड. संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।  
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबंधिता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 28.03.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं:-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। लेख है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार संस्था में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की फोटो युक्त सूची, शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित करवाकर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जाना सुनिश्चित करें।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार दस्तावेज दिनांक 17.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबंधिता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 719 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

कार्या - (0755) 2551650, 2761667 फ़ैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 728 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 9 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक  
श्री वैष्णव इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मेनेजमेन्ट,  
प्लॉट नं.-313, ए.बी. रोड बायपास,  
ग्राम निरावली पो. बरौआ,  
जिला-ग्वालियर (म.प्र.)-474006

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।  
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 08.03.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ तीन पृष्ठ की स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न की गई है जिसके प्रथम दो पृष्ठों पर 10 शैक्षणिक स्टाफ की जानकारी दी गई है किन्तु उक्त जानकारी शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित नहीं है। एक अन्य पृष्ठ पर दो शैक्षणिक कर्मचारियों की सूची की छायाप्रति संलग्न है जो शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित है। लेख है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार संस्था में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की फोटो युक्त सूची, शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित करवाकर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जाना सुनिश्चित करें।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार दस्तावेज दिनांक 17.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

भोपाल, दिनांक 09 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 721 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.  
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in  
कार्यालय : कार्यालय - (0755) 2551650, 2761567 फ़ैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक/ 722/डी.एड.सेल/2014  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 05/04/2014

प्राचार्य/संचालक  
श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ एज्युकेशन,  
प्लॉट नं.-129, ग्राम मुंगावली, पो. मुंगावली,  
जिला-अशोकनगर (म.प्र.)-473443

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।  
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 10.03.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा सत्र 2014-15 हेतु संबद्धता शुल्क रुपये 7,500/- जमा किया गया है। संस्था द्वारा अनुरोध किया गया है कि पूर्व में प्रस्तुत चालान क्र.-34560635 दिनांक 17.04.2013 की राशि रुपये 2,500/- का समायोजन करते हुये संस्था का नवीनीकरण किया जाये जबकि उक्तानुसार प्रस्तुत चालान दिनांक 17.04.2013 राशि रुपये 2,500/- पर मण्डल द्वारा पूर्व में ही निर्णय लिया जाकर संस्था को सत्र 2013-14 की संबद्धता का नवीनीकरण किया जा चुका है। अतः लेख है कि अन्तर की राशि रुपये 2,500/- का चालान मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार चालान की मूल प्रति दिनांक 17.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

भोपाल, दिनांक / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र./723/ डी.एड.सेल/2014  
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल



क्रमांक/ 832/डी.एड.सेल/2014  
प्रति,

भोपाल, दिनांक /6 /04 /2014

प्राचार्य/संचालक  
रमेश टीचर्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट,  
वैष्णो देवी परिसर, गुप्तेश्वर मंदिर के पास,  
टिगरा रोड़, ग्वालियर  
जिला-ग्वालियर (म.प्र.)

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।  
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 08.03.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न की गई है, जिसमें प्राचार्य शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय की पद मुद्रा एवं हस्ताक्षर संदेहास्पद प्रतीत होते हैं।

अतः निर्देशित किया जाता है कि संस्था में एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ की शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित फोटो युक्त सूची की मूलप्रति दिनांक 25.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समर सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

भोपाल, दिनांक /6 /04 /2014

पृष्ठांकन क्र./ 833/ डी.एड.सेल/2014  
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.  
भोपाल





माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

कार्यालय - (0755) 2551650, 2761567 फैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 824 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16/04/2014

प्राचार्य / संचालक  
बोस्टन कॉलेज फॉर प्रोफेशनल स्टडीज,  
प्लॉट नं.-18, 81, 83, पुतली घर रोड,  
ग्राम सिरौल, पो. जी.पी.ओ. मुरार, तह. मुरार,  
जिला-ग्वालियर (म.प्र.)-474006

विषय:- डी.एड. संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।  
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबंधिता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 10.03.2014।

--- / / ---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

.1. आवेदन पत्र के साथ संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों के समूह के छायाचित्र संलग्न नहीं किये गये हैं। उक्त के स्थान पर शाला में प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रवेश सूची की छायाप्रति संलग्न की गई है, जो कि मान्य नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि मण्डल द्वारा संबंधिता नवीनीकरण हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र के बिन्दु क्र.-11 में उल्लेख अनुसार छायाचित्र दिनांक 25.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबंधिता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

भोपाल, दिनांक 16/04/2014

पृष्ठांकन क्र. / 825 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर  
की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.  
भोपाल



क्रमांक / 844 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक  
कृष शिक्षा महाविद्यालय,  
प्लॉट नं.-1025, ग्राम सुमावली,  
पो. बेहट, तह. बेहट मुरार, ग्वालियर  
जिला-ग्वालियर (म.प्र.)-474006

विषय:- मण्डल द्वारा प्रदत्त डी.एड. संबंधिता समाप्त करने विषयक नोटिस।  
--- / / ---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र एवं संबंधिता नवीनीकरण शुल्क मण्डल कार्यालय में अप्राप्त है। जबकि मण्डल द्वारा संबंधिता संबंधी जारी स्थाई निर्देश क्र.-586 दिनांक 22.02.2014 के बिन्दु क्र.-13 में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रथम बार मण्डल से नवीन संबंधिता प्राप्त कर लेने के बाद संस्थाओं को प्रतिवर्ष निर्धारित शुल्क जमा करते हुये मण्डल से संबंधिता का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। मण्डल द्वारा जारी निर्देश में यह भी स्पष्ट उल्लेखित है कि मण्डल से संबंधिता प्राप्त संस्थाओं को एन.सी.टी.ई. से प्राप्त मान्यता की निरन्तरता जारी रहने पर संस्थाओं द्वारा संबंधिता नवीनीकरण हेतु दिनांक 10 मार्च तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। नवीनीकरण हेतु निर्धारित तिथि तक शुल्क सहित आवेदन प्रस्तुत न करने की स्थिति में संस्था की संबंधिता स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।

चूंकि आपकी संस्था द्वारा संबंधिता सत्र 2014-15 हेतु मण्डल द्वारा निर्धारित नवीनीकरण शुल्क एवं तदसंबंधी आवेदन पत्र ही प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः क्यों न आपकी संस्था की संबंधिता सत्र 2014-15 से समाप्त की जावे। उक्त संबंध में अपना लिखित स्पष्टीकरण दिनांक 25.04.2014 तक अनिवार्य रूप में मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर यह मान लिया जावेगा कि आपके इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं ऐसी स्थिति में मण्डल द्वारा एकतरफा कार्यवाही कर आपकी संस्था की संबंधिता को सत्र 2014-15 से समाप्त करने संबंधी कार्यवाही की जावेगी।

सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 845 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.  
भोपाल



क्रमांक / 838 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रति.

भोपाल, दिनांक / 6 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक  
देहली पब्लिक एकेडमी,  
बी.-5 दीन दयाल नगर, ग्वालियर  
जिला-ग्वालियर (म.प्र.)

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।

संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 08.03.2014

--- / / ---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर संस्था अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित स्टाफ सूची संलग्न की गई है, जो मान्य नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि संस्था में एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ की शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित फोटो युक्त सूची दिनांक 22.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

भोपाल, दिनांक / 6 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 839 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.  
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp. nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in  
कार्या- (0755) 2551650 2761567 फ़ैस - (0755) 2551499, 2552001

क्रमांक / 848 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रति.

भोपाल, दिनांक 16/04/2014

प्राचार्य / संचालक  
श्री साईनाथ शिक्षा महाविद्यालय,  
10/2, द्वारकाधीश कॉलोनी नं.-2,  
दुल्लपुर, थाटीपुर, ग्वालियर  
जिला-ग्वालियर (म.प्र.)-474011

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।  
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 08.03.2014

— / / —

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर संस्था प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न की गई है, जो मान्य नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि संस्था में एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ की शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित फोटो युक्त सूची दिनांक 22.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

भोपाल, दिनांक 16/04/2014

पृष्ठांकन क्र. / 849 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.  
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in  
कार्यालय : कार्यालय - (0755) 2551650, 2761567 फ़ैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 888 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रति

भोपाल, दिनांक / 6 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक  
एकलव्य द कॉलेज ऑफ एज्युकेशन,  
आत्म मंथन शिक्षा एवं मानव, लालघाटी,  
स्टोन पार्क मोती झील के पास, ग्वालियर  
जिला-ग्वालियर (म.प्र.)-474010

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।  
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 03.03.2014

---//---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर संस्था सचिव एवं संस्था प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित स्टाफ सूची संलग्न की गई है, जो मान्य नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि संस्था में एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ की शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित फोटो युक्त सूची दिनांक 22.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय र्स मा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

पृष्ठांकन क्र. / 889 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक / 6 / 04 / 2014

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.  
भोपाल





माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल .

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

☎ कार्यालय - (0755) 2551650 2761567 फैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 748 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक  
राजीव गॉंधी बेसिक ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट,  
रानीपुर, ग्वालियर,  
जिला-ग्वालियर (म.प्र.)

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।  
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन क्र.-132/मान्यता वृद्धि/2014,  
दिनांक रहित।

---//---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा संबद्धता नवीनीकरण हेतु मण्डल द्वारा निर्धारित प्रारूप अनुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। मण्डल द्वारा संबद्धता नवीन/नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप मण्डल की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
2. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची संलग्न नहीं की गई है। लेख है कि संस्था में एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ की शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित फोटो युक्त सूची मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

अतः निर्देशित किया जाता है कि मण्डल द्वारा निर्धारित प्रारूप अनुसार आवेदन पत्र एवं उक्तानुसार दस्तावेज दिनांक 25.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों का पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

पृष्ठांकन क्र. / 749 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर  
की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.  
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल .

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

☎ कार्यालय - (0755) 2551650 2761567 फैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 748 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक  
राजीव गॉंधी बेसिक ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट,  
रानीपुर, ग्वालियर,  
जिला-ग्वालियर (म.प्र.)

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।  
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन क्र.-132/मान्यता वृद्धि/2014,  
दिनांक रहित।

---//---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा संबद्धता नवीनीकरण हेतु मण्डल द्वारा निर्धारित प्रारूप अनुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। मण्डल द्वारा संबद्धता नवीन/नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप मण्डल की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
2. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची संलग्न नहीं की गई है। लेख है कि संस्था में एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ की शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित फोटो युक्त सूची मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

अतः निर्देशित किया जाता है कि मण्डल द्वारा निर्धारित प्रारूप अनुसार आवेदन पत्र एवं उक्तानुसार दस्तावेज दिनांक 25.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों का पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

पृष्ठांकन क्र. / 749 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर  
की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

कार्या - (0755) 2551650, 2761567 फैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 730/डी.एड.सेल/2014  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16/04/2014

प्राचार्य/संचालक  
महर्षि वेद व्यास महाविद्यालय,  
जंगीपुर, पो. पिछौर,  
जिला-ग्वालियर (म.प्र.)

विषय:- डी.एड. नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक स्मरण पत्र।  
संदर्भ:- 1) आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता संबंधी आवेदन दिनांक 08.03.2014 एवं आपका पत्र क्र.-एम. व्ही.व्ही./2014/ई.एक्स.पी./42, दिनांक 09.04.2014  
2) विषयान्तर्गत मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित सूचना पत्र क्र.-640/डी.एड.सेल/2014 दिनांक 29.03.2014 (छायाप्रति संलग्न है)।

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन हो। मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 29.03.2014 में उल्लेखित कमियों के संबंध में आपके संस्थान द्वारा आज दिनांक तक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त के स्थान पर आपके संस्थान के पत्र दिनांक 09.04.2014 द्वारा अन्तर की राशि रुपये 15,000/- का चालान संलग्न कर लेख किया गया है कि संस्था को मण्डल से जारी अन्य कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 29.03.2014 मण्डल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

पुनः लेख है कि मण्डल द्वारा जारी पत्र दिनांक 29.03.2014 में उल्लेखित कमियों के संबंध में संबंधित दस्तावेज अपने लिखित अभ्यावेदन सहित व्यक्तिगत रूप से दिनांक 09.04.2014 को समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, अन्यथा आपके द्वारा प्रस्तुत नवीन संबद्धता संबंधी आवेदन सत्र 2014-15 को अमान्य माना जावेगा।

संलग्न :- मण्डल द्वारा पूर्व में जारी पत्र दिनांक 29.03.2014

सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

पृष्ठांकन क्र./ 731/ डी.एड.सेल/2014  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 16/04/2014

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जारी स्मरण पत्र की तांमील सुनिश्चित कर संस्था से प्राप्त पावती निर्धारित दिनांक के पूर्व मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जाना सुनिश्चित करें।

सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.  
भोपाल



क्रमांक / 728 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16/04/2014


प्राचार्य / संचालक  
कालेज ऑफ साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी  
गोविन्दपुरी एच 33 थाटीपुर ग्वालियर  
जिला-ग्वालियर (म.प्र.)-474001

विषय:- सत्र 2014-15 से डी.एड. संबंधिता समाप्त किये जाने विषयक नोटिस।  
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबंधिता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 08.03.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न की गई है जो संदेहास्पद प्रतीत होती है उक्त सूची संस्था प्राचार्य / सचिव / संचालक द्वारा सत्यापित भी नहीं है।
2. आवेदन पत्र के साथ संस्था में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के समूह के छायाचित्र संलग्न नहीं किये गये हैं। संस्था द्वारा मात्र संस्था भवन का एक छायाचित्र संलग्न किया गया है, जो कि संदेहास्पद प्रतीत होता है। संस्था द्वारा उक्तानुसार संलग्न संस्था भवन का उक्त छायाचित्र नवीन सम्बद्धता संबंधी एक पृथक नस्ती महर्षि वेद व्यास महाविद्यालय जंगीपुरा ग्वालियर की नस्ती में भी संलग्न प्राप्त हुआ है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की मूलप्रति एवं बिन्दु क्र.-02 में उल्लेखित जानकारी के संबंध में अपने लिखित अभ्यावेदन के साथ, मण्डल द्वारा संबंधिता हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र के बिन्दु क्र.-11 में उल्लेखित छायाचित्रों सहित दिनांक 29.04.2014 को व्यक्तिगत रूप से मण्डल सचिव के समक्ष प्रस्तुत करें। निश्चित दिनांक को आपके द्वारा समक्ष में उपस्थित होकर उक्तानुसार जानकारी प्रस्तुत नहीं किये जाने पर यह मान लिया जावेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है एवं ऐसी स्थिति में मण्डल द्वारा आपकी संस्था को प्रदत्त संबंधिता को आगामी सत्र 2014-15 से समाप्त कर आपके द्वारा प्रस्तुत नवीनीकरण संबंधी आवेदन को अमान्य माना जावेगा।




सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

भोपाल, दिनांक 16/04/2014

पृष्ठांकन क्र. / 729 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार जारी स्मरण पत्र की तामील सुनिश्चित कर संस्था से प्राप्त पावती निर्धारित दिनांक के पूर्व मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जाना सुनिश्चित करें।



सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.  
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in  
कार्या- (0755) 2551650, 2761567 फैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 726 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक  
आर.एस.सी. कॉलेज,  
बसंत परिसर, मयूर मार्केट  
गाँधी रोड, ग्वालियर  
जिला-ग्वालियर (म.प्र.)-474011

- विषय:- सत्र 2014-15 से डी.एड. पाठ्यक्रम संबंधी मण्डल की संबद्धता समाप्त करने विषयक स्मरण पत्र।
- संदर्भ:- 1) आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 04.02.2014 एवं 08.03.2014  
2) विषयान्तर्गत मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित नोटिस क्र.-660/डी.एड.सेल/2014 दिनांक 03.04.2014 (छायाप्रति संलग्न है)।

---//---

विषयान्तर्गत मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित नोटिस दिनांक 03.04.2014 का अवलोकन हो। मण्डल द्वारा उक्तानुसार प्रेषित नोटिस डाक विभाग द्वारा अवितरित होने के कारण वापस मण्डल को प्रतिप्रेषित प्राप्त हुआ है, जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था द्वारा एन.सी.टी.ई. से मान्य किये गये पते पर संस्था का संचालन नहीं किया जा रहा है।

पुनः लेख है कि मण्डल द्वारा जारी नोटिस दिनांक 03.04.2014 के संबध में अपना लिखित अभ्यावेदन व्यक्तिगत रूप से दिनांक 29.04.2014 को समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, अन्यथा आपकी संस्था की संबद्धता को सत्र 2014-15 से समाप्त माना जाकर आपके द्वारा प्रस्तुत नवीनीकरण आवेदन दिनांक 08.03.2014 को अमान्य माना जावेगा।  
संलग्न :- मण्डल द्वारा पूर्व में जारी पत्र दिनांक 03.04.2014

सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 727 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार जारी स्मरण पत्र की तामील सुनिश्चित कर संस्था से प्राप्त पावती निर्धारित दिनांक के पूर्व मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जाना सुनिश्चित करें।

सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.  
भोपाल





माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

कार्यालय : (0755) 2551650, 2761567

फैक्स : (0755) 2551499, 2512061

क्रमांक / 816 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक  
राजीव गाँधी वोकेशनल एज्युकेशन एण्ड ट्रेनिंग कॉलेज,  
साक्षी परिसर, उरवई गेट, ग्वालियर  
जिला-ग्वालियर (म.प्र.)-474012

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।  
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 06.03.2014।

--- / / ---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा संबद्धता नवीनीकरण हेतु मण्डल द्वारा निर्धारित प्रारूप अनुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। मण्डल द्वारा संबद्धता नवीन/नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप मण्डल की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
2. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है।
3. आवेदन पत्र के साथ संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों के समूह के छायाचित्र संलग्न नहीं किये गये हैं।

अतः निर्देशित किया जाता है कि मण्डल द्वारा संबद्धता नवीनीकरण हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र के प्रारूप पर आवेदन, एन.सी.टी.ई. के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर संस्थान में नियुक्त प्राचार्य, व्याख्याता एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की शासकीय स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित स्टाफ सूची की प्रति एवं बिन्दु क्र.-11 में उल्लेख अनुसार छायाचित्र दिनांक 25.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 817 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल



क्रमांक / 800 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक  
आडियल इन्स्टीट्यूट ऑफ एज्यूकेशन,  
अल्कापुरी, नये हाई कोर्ट के पास,  
पुतली घर रोड़, ग्वालियर  
जिला-ग्वालियर (म.प्र.)-474011

विषय:- डी.एड. संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।  
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबंधिता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 10.03.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है।  
अतः निर्देशित किया जाता है कि संस्था में एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप संस्था में नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ की शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित फोटो युक्त सूची दिनांक 25.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबंधिता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 801 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.  
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

कार्यालय : (0755) 2551650, 2761567 फैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 836 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16/04/2014

प्राचार्य / संचालक  
विद्या वाहिनी शिक्षा महाविद्यालय,  
यदुनाथ नगर बाय पास रोड, भिण्ड,  
जिला-भिण्ड (म.प्र.)-477001

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।  
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 08.03.2014

--- / / ---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर संस्था प्राचार्य एवं संस्था सचिव द्वारा हस्ताक्षरित स्टाफ सूची संलग्न की गई है, जो मान्य नहीं है।  
अतः निर्देशित किया जाता है कि संस्था में एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ की शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित फोटो युक्त सूची दिनांक 22.04.2014 तक अगिवाय रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,

भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 837 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.

भोपाल



क्रमांक / 834 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रति,

भोपाल, दिनांक / 6 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक  
गोपेश कॉलेज ऑफ एज्युकेशन,  
प्लॉट नं.-1129, ग्राम व पो. रतवाई तह. ग्वालियर,  
जिला-ग्वालियर (म.प्र.)-474006

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।  
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 10.01.2014 एवं  
07.03.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु  
आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार  
कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ अतिरिक्त इंटोक हेतु शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर  
महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित 05 व्याख्याताओं की फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति  
संलग्न की गई है, जो कि मान्य योग्य है। किन्तु संस्था द्वारा संलग्न एक अन्य सूची जिसमें पूर्व से  
कार्यरत 08 शैक्षणिक एवं 04 अन्य कर्मचारी के नाम शामिल हैं, को संस्था प्राचार्य एवं संस्था सचिव  
द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है, जो कि मान्य योग्य नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि संस्था में एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के  
अनुरूप नियुक्त सम्पूर्ण शैक्षणिक स्टाफ की शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य  
द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित फोटो युक्त सूची दिनांक 25.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल  
कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र  
2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक  
उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को  
प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

भोपाल, दिनांक / 6 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 835 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर  
निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.  
भोपाल



## माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

☎ : कार्या - (0755) 2551350, 2761567 फैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / ४११ / डी.एड.सेल / 2014  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 21/04/2014

प्राचार्य / संचालक  
माँ विद्या देवी शिक्षा महाविद्यालय,  
विद्या विहार, मेन रोड, महावीरपुरा,  
जिला-मुरैना (म.प्र.)-476001

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।  
संदर्भ:- 1) मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र क्र.-668 दिनांक 03.04.2014  
2) आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र.-04ए/डी.एड./2014, दिनांक 09.04.2014

--- / / ---

विषयान्तर्गत सदर्भित पत्रों का अवलोकन हो। संस्था द्वारा प्रस्तुत जवाब निम्न बिन्दुओं के आधार पर संतोषजनक प्रतीत नहीं होता :-

1. एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31.08.2009 के बिन्दु क्र.-09 में स्पष्ट उल्लेख है कि संस्थान संबंधन प्रदान करने वाले निकाय द्वारा यथा अनुमोदित संकाय सदस्यों की सूची क्षेत्रीय समिति को भेजेंगा।
2. राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.01.2012 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि एन.सी.टी.ई. के प्रावधान एवं वर्तमान मापदण्ड के अनुसार ही प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय अपने क्षेत्र अन्तर्गत संचालित अशासकीय संस्थाओं के स्टाफ सिलेक्शन का कार्य एवं स्टाफ सूची का प्रमाणीकरण करेंगे। उक्तानुसार जारी निर्देश के बिन्दु क्र.-02 में स्पष्ट है कि किसी जिले के अशासकीय डी.एड. कॉलेज के स्टाफ चयन से संबंधित कार्यवाही स्टाफ सूची का प्रमाणीकरण करने के लिये उस जोन के प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय सक्षम अधिकारी होंगे जिसमें वह जिला सम्मिलित है।
3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ग्राहिका क्र.-276/12 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2012 में परीक्षा निकायों को निर्देशित किया गया है कि संबद्धता प्रदान करने के पूर्व परीक्षा निकाय द्वारा संस्थान में पाठ्यक्रम को पूर्ण करने एवं एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन किये जाने विषयक शर्तें निर्धारित कर सकता है।

उक्त आधार पर परीक्षा निकाय होने की हैसियत से मण्डल का यह दायित्व बनता है कि वह संस्थान को संबद्धता देने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि संस्थान में एन.सी.टी.ई. के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने हेतु पर्याप्त शैक्षणिक स्टाफ उपलब्ध हैं। अशासकीय डी.एड. संस्थाओं में शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति एवं नियुक्त स्टाफ की फोटो युक्त





माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in  
कार्यालय - (0755) 551350, 2761567 फ़ैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 890 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 22/04/2014

प्राचार्य / संचालक  
इन्स्टीट्यूट एलाइड साइंस एण्ड कम्प्यूटर एप्लीकेशन,  
गुरुकृपा कम्पस, सिंधौली रेल्वे स्टेशन के सामने,  
एन.एच.-75, झांसी रोड़, ग्वालियर  
जिला-ग्वालियर (म.प्र.)-474001

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।  
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 10.03.2014

--- / ---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. आवेदन पत्र के साथ संस्था में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के समूह के छायाचित्र संलग्न नहीं किये गये हैं।

अतः निर्देशित किया जाता है कि मण्डल द्वारा निर्धारित सम्बद्धता संबंधी आवेदन पत्र के बिन्दु क्रमांक 11 अनुसार छायाचित्र दिनांक 01.05.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

पृष्ठांकन क्र. / 891 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रतिलिपि:-


भोपाल, दिनांक 22/04/2014

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

सूची के प्रमाणीकरण हेतु प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय को एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा अधिकृत किया गया है। अतः अंतिम रूप से सूचित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नात्कोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची दिनांक 01.05.2014 तक मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक उक्तानुसार कमीपूर्ति न किये जाने पर मण्डल द्वारा संस्था की संबद्धता को आगामी सत्र 2014-15 से निरस्त कर दिया जावेगा।




सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

भोपाल, दिनांक / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 900-101 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्रीय निदेशक, एन.सी.टी.ई., पश्चिम क्षेत्रीय समिति, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
2. संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।



सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल